रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2009/चैत्र 9, 1931
No. 43] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2009/CHAITRA 9, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सं. एल-1(1)/2009-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सभी पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम 1-4-2009 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं तथा निर्वचन**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) समय-ब्लॉक में, "वास्तविक निकासी" से इंटरफेस मीटरों द्वारा मापी गई, यथास्थिति, फायदाग्राही या विक्रेता द्वारा ली गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ग) समय-ब्लॉक में, "वास्तविक उत्पादन" से इंटरफेस मीटरों द्वारा मापी गई, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा उत्पादित या प्रदाय की गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(घ) "फायदाग्राही" से उत्पादन केंद्र से उत्पादित विद्युत को क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड.) 'विक्रेता' से निर्बाध पहुंच, मध्यकालीन पहुंच तथा दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए लागू आयोग के विनिमयों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से, फायदाग्राही के सिवाय, विद्युत क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) 'उत्पादन केंद्र' से ऐसा केंद्र अभिप्रेत है जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है ;

(छ) 'ग्रिड कोड' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है ;

(ज) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) 'इंटरफेस मीटर' से ऐसे इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है जो समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों को लगाना तथा प्रचालन) विनियम, 2006 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित है ;

(ञ) 'भार प्रेषण केंद्र' से ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार उत्पादन केंद्र के अनुसूचीकरण का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र अभिप्रेत है ;

(ट) किसी समय या किसी अवधि या समय-ब्लॉक पर 'अनुसूचित उत्पादन' से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या एमडब्ल्यूएच में उत्पादन अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) किसी समय या किसी अवधि या समय-ब्लॉक पर 'अनुसूचित निकासी' से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या एमडब्ल्यूएच में उत्पादन अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) 'क्रेता' से उत्पादन केंद्र के सिवाय, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्बाध पहुंच, मध्यकालिक पहुंच तथा दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत प्रदाय करता है ;

(ध) 'समय-ब्लॉक' से प्रत्येक 15 मिनट का ब्लॉक अभिप्रेत है जिसके लिए विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों तथा मात्राओं का अभिलेख 00.00 घंटे पर आरंभ होने वाले पहले समय ब्लॉक के द्वारा अभिलिखित किया जाता है ;

(ण) उत्पादन केंद्र या क्रेता के लिए समय-ब्लॉक में 'अननुसूचित विनिमय' से वास्तविक उत्पादन माइन्स उसका अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है तथा फायदाग्राही या विक्रेता के लिए उसकी कुल वास्तविक निकासी माइनस उसकी कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है ।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय तथा जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम, या ग्रिड कोड या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिड कोड या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में है ।

3. **उद्देश्य**

इन विनियमों का उद्देश्य विद्युत की अनुसूचीकरण, प्रेषण तथा निकासी में ग्रिड के प्रयोक्ता के नियंत्रण के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभारों के वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से ग्रिड कोड के अधीन यथा परिकल्पित ग्रिड अनुशासन को बनाए रखना है ।

4. **विस्तार**

विनियम निम्नलिखित को लागू होंगे -

(i) उत्पादन केंद्र तथा फायदाग्राहियों ; तथा

(ii) विद्युत के अंतर-राज्यिक संव्यवहार में निर्बाध पहुंच या मध्यकालिक पहुंच या दीर्घ-कालिक पहुंच के माध्यम से सुकर संव्यवहारों में सम्मिलित क्रेता तथा विक्रेता ।

5. अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार

जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.3 एच जेड तथा 49.2 एचजेड तक के बीच हो, सभी समय ब्लॉकों के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार क्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा अंडर-इंजेक्शन तथा केता या फायदाग्राही द्वारा अंडर-निकासी के लिए प्राप्य तथा उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा अधिक इंजेक्शन के लिए संदेय होंगे तथा नीचे दी गई दरों पर समय-ब्लॉक की औसत फिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे: -

समय-ब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी (एच जेड)		यूआई दर (पैसे प्रति केडब्ल्यूएच)
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	
----	50.30	0
50.30	50.28	12
50.28	50.26	24
---	---	---
---	---	---
50.04	50.02	168
50.02	50.00	180
50.00	49.98	192
---	---	---
---	---	---
49.52	49.50	480
49.50	49.48	497
49.48	49.46	514
---	---	---
---	---	---
49.24	49.22	718
49.22	49.20	735

(प्रत्येक 0.02 एच जेड स्टेप 50.3-49.5 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 12.0 पैसे/के डब्ल्यू एच तथा 49.5-49.2 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 17.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)

परंतु यह कि ईंधन के रूप में केवल कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) गैस का उपयोग करने वाले ऐसे सभी उत्पादित केंद्रों के लिए अननुसूचित विनिमय दर 408 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच (यूआई कैप दर) तक सीमित की जाएगी, यदि जब वास्तविक

उत्पादन 50.03 एचजेड तथा 49.2 एचजेड तक फ्रिक्वेंसी रेंज में अनुसूचित उत्पादन अधिक हो जाता है या उससे कम हो जाता है ।

टिप्पणः अननुसूचित विनिमय प्रभारों, जिसमें यूआई कैप दर भी सम्मिलित है, का पुनर्विलोकन छह मासिक आधार पर या उससे पहले किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, समय-समय पर पृथक आदेशों के माध्यम से पुनरीक्षित किया जाएगा ।

6. घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करना

(1) समय-समय पर यथासंशोधित ग्रिड कोड तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के उपबंध क्षमता की घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करने के लिए लागू होंगे ।

(2) उत्पादन केंद्र ग्रिड कोड के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अंतिम रूप से तैयार डे-एहेड उत्पादन अनुसूची के अनुसार विद्युत उत्पादित करेगाः

परंतु यह कि प्रचालन दिन पर उत्पादन अनुसूची का पुनरीक्षण ग्रिड कोड के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) 15 मिनट के किसी समय-ब्लॉक में घोषित क्षमता के 105% तक तथा दिन की समाप्ति पर औसत घोषित क्षमता के 101% तक के औसत तक हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी उत्पादन को गेमिंग के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा उत्पादन केंद्र अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यूआई प्रभारों के लिए हकदार होगा ।

(4) विनिर्दिष्ट सीमा से परे हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गेमिंग नहीं है । उत्पादन केंद्र अननुसूचित विनिमय प्रभारों की वसूली के लिए केवल तब हकदार होंगे यदि अन्वेषण से यह साबित हो जाता है कि कोई गेमिंग नहीं है । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केंद्र को संदेय तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी तथा रकम को फायदाग्राहियों के यूआई पूल खाते में उत्पादन केंद्र में उनकी अपनी क्षमता के अनुपात में समायोजित किया जाएगा ।

(5) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से यह प्रत्याशा की जाती है ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों तथा प्रवाह उतार-चढ़ाव में अपना प्रत्युत्तर दें । हाइड्रो उत्पादन केंद्र दी गई अनुसूची में गेमिंग में सम्मिलित हुए बिना तथा ग्रिड अवरोधों के कारण परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र तथा संपूर्ण दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) द्वारा वास्तविक कुल ऊर्जा प्रदाय के बीच अंतर के लिए प्रतिभार संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा चौथे दिन (दिन जमा 3) की डे-एहेड अनुसूची में से दिया जाएगा । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन कंपनी को संदेय तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी तथा रकम को फायदाग्राहियों के यूआई पूल खाते में उत्पादन केंद्र में उनकी क्षमता हिस्सेदारी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा ।

7. **यू आई मात्रा (वाल्यूम) की सीमा**

(1) समय-ब्लॉक के दौरान किसी फायदाग्राही या क्रेता द्वारा अनुसूची से विद्युत की अधिक निकासी जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच जेड से कम है, अनुसूचित निकासी या 150 मेगावाट (जो भी कम हो) के 12% से अधिक नहीं होगी तथा दैनिक कुल आधार पर 3% होगी ।

(2) समय-ब्लाक के दौरान किसी उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा अनुसूची से विद्युत का अंडर-इंजेक्शन ऐसे उत्पादन केंद्र या विक्रेता के अनुसूचित इंजेक्शन के 12% से अधिक नहीं होगा जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच-जेड से कम है तथा औसत दैनिक कुल आधार पर 3% होगा ।

(3) विनियम 6 के अधीन यथा परिकलित 49.2 एचजेड की फ्रिक्वेंसी के तत्स्थानी यूआई दर के अलावा, 49.2 एचजेड की फ्रिक्वेंसी के तत्स्थानी यू आई दर के 40% के समकक्ष दर पर अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, प्रत्येक समय-ब्लॉकों के लिए विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए लागू होगी:

परंतु यह कि ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, सभी समय-ब्लॉकों के दौरान विद्युत के अंदर इंजेक्शन के लिए यूआई कैप दर के अलावा, अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार यूआई कैप दर के 40% के समकक्ष होगा ।

टिप्पण: अतिरिक्त अनुसूचित विनिमय प्रभारों का पुनर्विलोकन आयोग द्वारा छह मासिक आधार पर या उससे पूर्व किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, पृथक आदेशों द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(4) उपरोक्त विनियम 5 के अधीन अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा विनियम 7 (3) के अधीन अतिरिक्त अनुसूचित विनिमय प्रभार का संदाय किसी ऐसी कार्रवाई में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो समय-ब्लॉकों के लिए, जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच जेड से कम हो, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिक निकासी तथा अंडर उत्पादन सीमा के अतिलंघन के लिए, अधिनियम की धारा 142 तथा धारा 149 के अधीन समुचित समझी जाए ।

(5) आयोग, समय-समय पर, यदि आवश्यक समझे, जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो तथा 49.2 एचजेड तक हो, समय ब्लाकों के दौरान विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विहित कर सकेगा ।

(6) विद्युत की कोई भी अधिक निकासी तथा अंडर-इंजेक्शन की संगणना 'प्रादेशिक ऊर्जा लेखा' को तैयार करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के अनुसार की जाएगी:

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो तथा पृथकतः 49.5 - 49.2 एचजेड के बीच हो, अधिक निकासी/अंडर-इंजेक्शन की यूआई मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाले यूआई लेखाओं तथा समय-ब्लाकों के लिए प्रत्येक फायदाग्राही तैयार करेगा तथा विक्रेता तथा उत्पादन केंद्र/विक्रेता के लिए संदत्त/प्राप्त यूआई की तत्स्थानी रकम को मासिक आधार पर अभिलेखों अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

8. भार प्रेषण केंद्र के अनुदेशों का अनुपालन

विनियम 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केंद्र, विक्रेता, फायदाग्राही तथा क्रेता उत्पादन तथा निकासी पर प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के अनुदेशों का अनुसरण करेंगे ।

9. अननुसूचित विनिमय प्रभारों का लेखांकन

इन विनियमों के अधीन उदगृहीत अननुसूचित विनिमय प्रभारों के मद्दे सभी संदाय जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी है तथा उसके विलंब संदाय पर प्राप्त ब्याज को 'अननुसूचित विनिमय पूल लेखा निधि' नामक निधि में जमा किया जाएगा जिसे ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार बनाए तथा प्रचालित किया जाएगा ।

10. अननुसूचित विनिमय प्रभारों के संदाय की अनुसूची

(1) अननुसूचित अंतर-विनिमय प्रभारों के लिए सभी संदाय जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी है, प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा अननुसूचित विनिमय लेखा विवरण के जारी करने के 10 दिन के भीतर अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि' में किए जाएंगे ।

(2) यदि अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार पर अननुसूचित अंतर विनिमय प्रभारों के संदायों में दो दिन से अधिक का विलंब किया जाता है, अर्थात् संदाय प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा विवरण के जारी करने के 12 दिन की अवधि के बाद किया जाता है, तो विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% का साधारण ब्याज संदेय होगा ।

(3) किसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार इकाइयों को अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि से सभी संदाय 'अननुसूचित अंतर विनिमय पूल खाता निधि' में रकम के जमा करने के 15 दिन के भीतर किया जाएगा ।

11. यू आई के माध्यम से संगृहीत निधि का उपयोजन

(1) उत्पादन केंद्र और फायदाग्राहियों के अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात् छोड़ी गई रकम का उपयोग आयोग के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित दोनों या एक गतिविधियों के लिए किया जाएगाः

(क) अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों के लिए विनिधान की सर्विसिंगः

परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से वर्तमान में उपयोग के अनुकूलतम स्तर के बिना अनुकूल महत्व की अंतर-राज्यिक पारेषण ऐसी स्कीमों, जिनका उपयोग अनुकूलतम स्तर तक नहीं किया जा रहा है, की पहचान करेगा । अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का निपटान करने के पश्चात 'अननुसूचित विनिमय पूल निधि' में छोड़ी गई रकम से आरंभिक वर्षों के दौरान पूंजी लागत की सर्विसिंग के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि जब अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों में सम्मिलित ऐसी पारेषण लाइन या पारेषण प्रणाली, का उपयोग, उपयोग के अनुकूलतम स्तर तक पहुंच जाता है तब ऐसी पारेषण स्कीमों की लागत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पारेषण स्कीम के उपयोक्ताओं से वसूली जाएगी ।

(ख) ग्रिड की सुरक्षा को सुनिश्चिता के लिए आनुषंगिक सहायक सेवाएं प्रदान करना जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तैयार प्रक्रिया के अनुसार ऐसे निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी के दौरान, जिसकी पहचान प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा की गई हो, 'भार उत्पादन बेलेसिंग' सम्मिलित नहीं है ।

(2) खंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आबंटनयोग्य निधि की रकम का विनिश्चय आयोग द्वारा समय-समय पर किया जाएगा ।

12. शिथिल करने की शक्ति

आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा शिथिलता प्रदान करके प्रभावित होने वाले पक्षकारों को उचित अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को साधारण या विशेष आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

13. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में परिवर्तन, हेरफेर, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2008-असा.]